राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य
(NATIONAL PARKS AND SANCTURIES)

राष्ट्रीय उद्यान

भारत में जीव संरक्षण के महत्वपूर्ण कदमों में राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख स्थान रखता है—वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास की संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। ऐसे प्राकृतिक भूखण्डों की कानूनी व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से जीवों को नुकसान पहुंचना कानून जुर्म की श्रेणी में आता है। साथ ही इन्हें उपयोगी और आकर्षक बनाने के लिए इनको पर्यटक उद्योग से जोड़ा गया है।

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा गया है :

बान्दीपुर राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक), बनरहट्टा राष्ट्रीय पार्क (कर्नाटक), बान्धवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश), कॉर्बेट नेशनल पार्क (उत्तराखण्ड), दुधवा राष्ट्रीय पार्क (उत्तर प्रदेश), अन्नामलाई नेशनल पार्क (तमिलनाडु), हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क (हजारीबाग, झारखण्ड), तदोबा राष्ट्रीय पार्क (चन्द्रपुर, महाराष्ट्र), बेल्वाडार राष्ट्रीय पार्क (भगवानपुर, गुजरात), इरवीकुलम राजमले राष्ट्रीय पार्क (केरल), गिर राष्ट्रीय उद्यान (जूनागढ़, गुजरात), कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क (मांडला एवं बालाघाट, मध्य प्रदेश), काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क (जोरहट, असम), खग चन्दजेदा राष्ट्रीय पार्क (सिक्किम), नागरहोल राष्ट्रीय पार्क (कर्नाटक), पेंच राष्ट्रीय पार्क (महाराष्ट्र), नवेगांव राष्ट्रीय पार्क (महाराष्ट्र), रोहला राष्ट्रीय पार्क (हिमाचल प्रदेश)। इन पार्कों की अवस्थिति को भारत के मानचित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है, जो निम्न है :

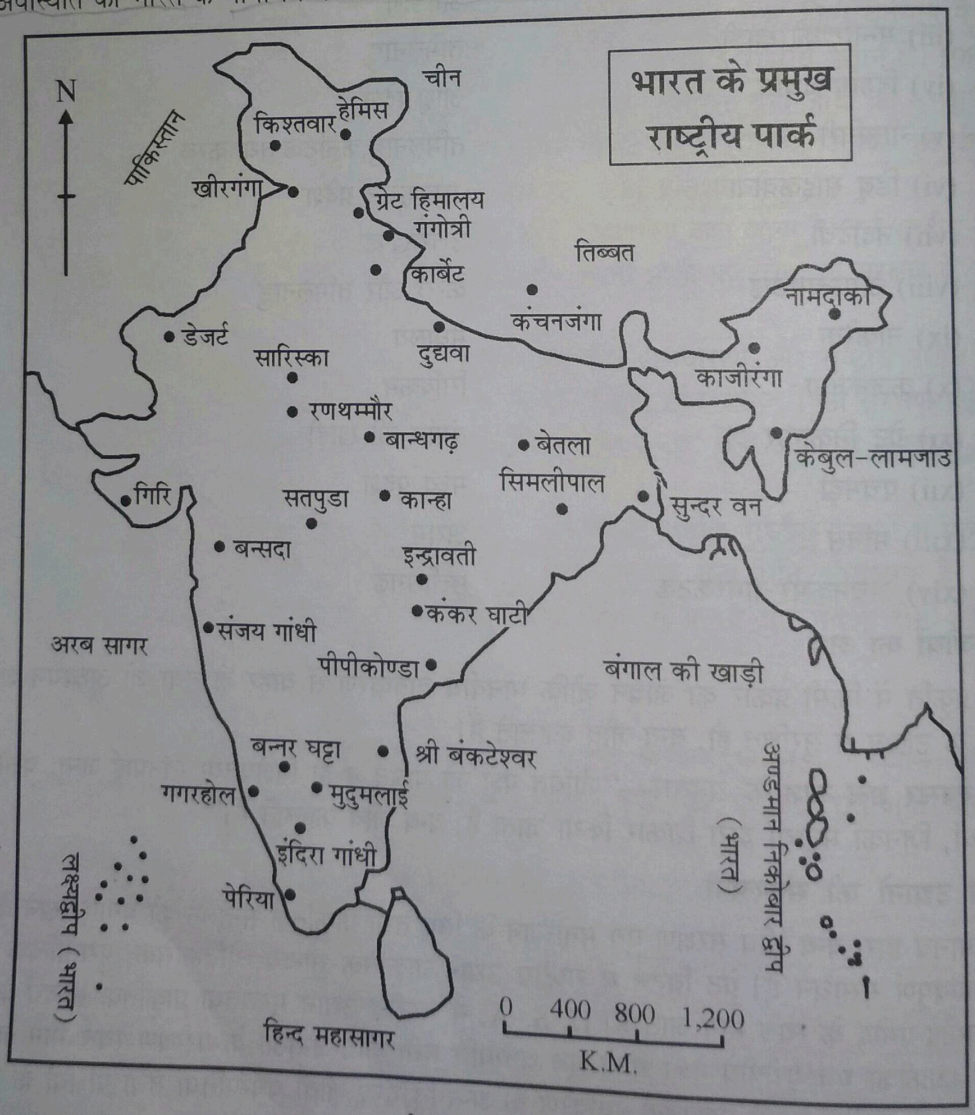

भारत के प्रमुख उद्यान चित्र

वन्य जीव अभयारण्य

भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना ऐसे सुरक्षित क्षेत्र हैं, जहां वन्य जीवों को किसी प्रकार का नुकसान या शिकार करना वर्जित है। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह अग्रणी हैं, जहां 94 अभयारण्य हैं। अन्य प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, आदि का नाम प्रमुख है।

भारत के प्रमुख राज्य स्तर के राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों की संख्या निम्न है :

तालिका (1994)

प्रदेश	राष्ट्रीय उद्यान	अभयारण्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
ओडिशा	1	16	7,030.0
नागालैण्ड	—	4	223.9
मिजोरम	1	1	681.0
मेघालय	2	3	317.2
मणिपुर	2	—	81.3
पश्चिम बंगाल	3	17	4,227.2
उत्तर प्रदेश	5	16	9,345.7
त्रिपुरा	—	4	189.1
तमिलनाडु	2	10	5,657.1
सिक्किम	1	4	946.3
पंजाब	—	5	253.2
राजस्थान	4	21	9,366.3
महाराष्ट्र	5	31	15,041.0
मध्य प्रदेश	11	31	28,758.9
केरल	3	11	2,235.0
कर्नाटक	5	18	6,185.9
जम्मू-कश्मीर	4	14	9,119.7
हिमाचल प्रदेश	2	29	4,889.4
हरियाणा	—	7	130.5
गुजरात	4	12	17,405.1
गोवा	1	4	370.3
अण्डमान-निकोबार	6	94	817.6
आन्ध्र प्रदेश	—	16	9,672.5
अरुणाचल प्रदेश	2	4	3,782.1
असम	2	8	1,371.9
बिहार	1	15	4,064.4
चण्डीगढ़	—	1	25.4
दिल्ली	—	1	13.2
भारत	75	421	1,41,296.3

भारत के विचित्र प्राणी

1. **उड़न-लोमड़ी**—यह विश्व की सबसे बड़ी चमगादड़ है। यह सम्पूर्ण भारत में पाए जाने वाले जीव हैं। यह 220 किमी. तक उड़ान भर सकती है। इसके पंखों का विस्तार 1.5 मीटर का होता है।

2. **मूषक मृग**—इस मृग का गृह छोटी झाड़ियों और वनस्पति होती है। यह परभक्षियों से बचने के लिए यह छिप कर रहता है। इसकी ऊंचाई 30 सेमी. होती है।

3. **सिवेंट**—आमतौर पर दिन में यह नजर नहीं आता। यह छोटी पक्षी, स्तनपायी और सरोस इसका मुख्य भोजन है। यह शिकार के लिए रात में निकलता है। यह बिल्ली जैसा प्राणी होता है।

4. **डाल्फिन या गांगेय सूंस**—यह जन्मान्ध छोटा तथा पूरा जीवन अन्धा रहकर गुजारता है।

5. **भारती बड़ी गिलहरी**—यह दिन में छिपकर झाड़ियों में रहता है। यह रात्रिचर जीव है। इसके शरीर के मुख्य भाग और बाहरी अंग के बीच खाल जैसी पत्ती होती है। यह पैराशूट की तरह फैला तथा सिकुड़ सकती है। इसी की सहायता से ये जीव एक पेड़ से दूसरे पेड़ को भ्रमण करती है।

6. **बज्रशल्क या भारतीय सॉल**—यह जीव अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर को गेंद की तरह बनाकर लुढ़काता है तथा अपने तीखे शल्कों को खड़ा कर देता है।

7. **भारतीय बड़ी धनचिड़ी**—यह एक बड़ा पक्षी है। इसकी अपने आपको किसी पेड़ की खोखर में बन्द कर लेती है। अण्डे सेने की पूरी अवधि में नर पूरी कर्त्तव्यनिष्ठा से मादा के लिए भोजन जुटाता है।

वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता

मनुष्यों द्वारा जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असन्तुलित हो गया है। लगभग 1,300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीव प्रजातियां संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं।

संकट के कारण

लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजाति का उन क्षेत्रों में प्रवेश कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई।

भारत के प्राणी-भौगोलिक प्रदेश—प्रेटर महोदय ने वर्ष 1934 में भारत को अनेक प्राणी-भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित हैं, जो निम्नलिखित हैं :

1. **हिमालय प्रदेश**—इसके अन्तर्गत—(i) लद्दाख का शीत प्रदेश जहां मृग, याक, गुरल, हंगल, जंगली बकरा आदि पाए जाते हैं। (ii) हिमालय, इसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल आता है जहां—हाथी, चीता, सांभर, शेर, भरल, गुरल, बारहसिंगा, चीतल आदि जीव पाए जाते हैं। (iii) हिमाचल पर्वत, वृक्ष—क्षेत्र इसमें कस्तूरी मृग, मोनाल पक्षी, तेंदुआ, भालू आदि पाए जाते हैं।

2. **उत्तरी मैदानी प्रदेश**—यहां हाथी, शेर, चीता, तेंदुआ, नील गाय, भेड़िया,चीतल आदि पाए जाते हैं।

3. **राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश**—यहां पर चीतल, हिरण तथा अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं।

4. **प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश**—यहां पर वन्य जीवों में हाथी, शेर, चीता, हिरण, काखड़ आदि प्रमुख हैं।

5. **मालाबार का तटीय प्रदेश**—इन क्षेत्रों में विशेष जाति के लंगूर, शेर, हिरण, बन्दर, हाथी तथा नेवला आदि पाए जाते हैं।

6. **नीलगिरि प्रदेश**—इस प्रदेश में उष्ण कटिबन्धीय जीव पाए जाते हैं। यहां विभिन्न प्रकार के वन्य जीव एवं पक्षी पाए जाते हैं।

आदिवासी एवं वन सम्पदा

भारत के सभी राज्यों में आदिवासी जातियां निवास करती हैं, जिनकी आजीविका मुख्यतया वन एवं वन्य जीवों से सम्बन्धित पदार्थों पर निर्भर है। आदिवासी जातियां अपनी बस्ती बनाकर वनों को उजाड़ देती हैं। आदिवासी वन्य पदार्थों तथा वन्य जीव को अपना जीविका का साधन समझते हैं, जिस कारण वन विनाश एवं वन्य जीवों की तस्करी करते हैं। वन विनाश के उनके कार्यों पर भी प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण कानून

विलुप्त प्रायः जीव-जन्तुओं, पादप समूह एवं पर्यावरण के असन्तुलन के लिए भारतीय दण्ड संहिता में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में दण्ड का प्रावधान भी है :

(i) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(ii) खदान एवं खनिज अधिनियम, 1947
(iii) कारखाना अधिनियम, 1948
(iv) उद्योग अधिनियम, 1951
(v) जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
(vi) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962

(vii) कीटनाशक अधिनियम, 1968
(viii) वन्य जीव अधिनियम, 1972
(ix) विकिरण सुरक्षा अधिनियम, 1972
(x) जल अधिनियम, 1974
(xi) वायु अधिनियम, 1981
(xii) पर्यावरण अधिनियम, 1986
(xiii) भारतीय मत्स्यन अधिनियम, 1987
(xiv) घातक अपशिष्ट अधिनियम, 1995
(xv) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलैट अथॉरिटी अधिनियम, 1997
(xvi) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1998
(xvii) बायो मेडिकल अपशिष्ट अधिनियम, 1998
(xviii) ओजोन क्षरण अधिनियम, 2002
(xix) ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, 2002
(xx) जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002

राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य के प्रमुख अन्तर

राष्ट्रीय पार्क	अभयारण्य
(i) राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना राज्य या केन्द्र सरकार के संविधान के अनुसार की जाती है।	(i) अभयारण्य राज्य या केन्द्र सरकार के आदेश से स्थापित होते हैं।
(ii) राष्ट्रीय पार्क का स्तर अपेक्षाकृत उच्च होता है तथा उन्हें अभयारण्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।	(ii) अभयारण्य का स्तर राष्ट्रीय पार्क से निम्न होता है। अभयारण्यों को ऊंचा (उच्च) कर राष्ट्रीय पार्कों में परिवर्तित किया जा सकता है।
(iii) इनमें पादप जात तथा प्राणी जात दोनों की सुरक्षा पर बल दिया जाता है।	(iii) इनमें प्राणी जात की सुरक्षा पर बल दिया जाता है।
(iv) कृषि तथा पशुचारण पूर्णतः प्रतिबन्धित होते हैं।	(iv) कुछ शर्तों के साथ कृषि एवं पशुचारण के लिए सीमित क्षेत्रों में अनुमति प्रदान की जाती है।
(v) वन उत्पादों का संग्रह व लकड़ी काटना पूर्णतः वर्जित होता है।	(v) कुछ शर्तों के साथ वन उत्पादों के संग्रह की लकड़ी काटने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
(vi) किसी भी प्रकार के मानवीय निवास क्षेत्र की अनुमति नहीं होती है।	(vi) कुछ शर्तों के साथ मानवीय निवास क्षेत्र की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
(vii) राष्ट्रीय पार्कों की सीमा सुनिश्चित होती है।	(vii) अभयारण्यों की सीमाएं पूर्णतः निर्धारित नहीं होती हैं।
(viii) निजी क्षेत्र के स्वामित्व की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।	(viii) निजी क्षेत्रों के स्वामित्व की कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न परियोजनाएं

1. राष्ट्रीय बाघ परियोजना,
2. गिर सिंह परियोजना,
3. हाथी परियोजना,
4. घड़ियाल प्रजनन योजना,
5. गैंडा परियोजना,
6. कस्तूरी मृग परियोजना,
7. लाल पांडा परियोजना,
8. मणिपुर वामिन परियोजना,
9. हांगुल परियोजना,
10. ओलिव रिडले टर्टल संरक्षण परियोजना।

1. **राष्ट्रीय बाघ परियोजना**—भारत में बाघ सुरक्षा संरक्षण के लिए 1972 में बाघ परियोजना आरम्भ की गई। इस परियोजना की शुरुआत 9 (नौ) राज्यों में एक-एक अभयारण्य को चुना गया था। कर्नाटक स्थित बांदीपुर, उत्तराखण्ड स्थित कॉर्बेट, मध्य प्रदेश स्थित कान्हा, असम स्थित मानस, महाराष्ट्र स्थित मेलघाट, झारखण्ड स्थित पलामू, राजस्थान स्थित रणथम्भौर, ओडिशा स्थित सिम्पलीपाल तथा प. बंगाल स्थित सुन्दरवन प्रमुख है।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं

1. लोगों को लाभ, शिक्षा और आनन्द के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में ऐसे जैविक महत्व के क्षेत्रों का सदैव परीक्षण करना, जिससे जीव सुरक्षित रह सकें।

2. वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यपरक और पारिस्थितिकीय मूल्यों के लिए भारत के बाघों की संख्या बनाए रखना सुनिश्चित करना।

भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत के मध्य प्रदेश में बाघ पाए जाते हैं तथा सुरक्षित स्थान माने जाते हैं। इसलिए इसे 'बाघ राज्य' कहा जाता है। दुर्लभ सफेद बाघों के लिए ओडिशा का नन्दन कानन प्रसिद्ध है। सबसे अधिक बाघ पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन विख्यात है।

2. **गिर सिंह परियोजना**—सबसे बहादुर जीवों में सिंह का नाम सबसे आगे आता। पहले भारत के उत्तर एवं मध्य भाग में सिंह पाए जाते थे, परन्तु अब केवल गुजरात के गिर के जंगल में ये पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1973 में हुई। पहले ये अभयारण्य था, परन्तु 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे एशियाई सिंह का घर भी कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1,412 वर्ग किमी. वन्य क्षेत्र है।

3. **हाथी परियोजना**—हाथी जाति अति प्राचीन जानवर है। इसे जंगल के राजा के नाम से जानते हैं। हाथी का सफेद सुन्दर दांत, हमेशा आकर्षण का केन्द्र रहा है। इसके दांत से सजावटी सामान तथा सुन्दर खिलौने बनाए जाते हैं। इसलिए इसकी हड्डियों, खाल, दांत की तस्करी तस्करों के द्वारा की जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगलों का अन्धाधुन्ध विनाश के फलस्वरूप हाथी सड़कों पर आ गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 1991-1992 में प्रारम्भ किए गए। प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य जंगली हाथियों, प्राकृतिक आवास में रह सकें। परियोजना का मूल रूप मुख्य है :

(i) जंगलों में प्राकृतिक आवास एवं मार्ग को सुरक्षित रखा जा सके।

(ii) जंगली एशियाई हाथियों की जीवन को सुरक्षित रखा जा सके एवं जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर प्राकृतिक स्थल के संरक्षण एवं नियोजित प्रबन्धन का विकास करना।

(iii) प्राकृतिक आवासों में मनुष्य एवं हाथियों के मध्य होने वाले संघर्ष को समाप्त करना तथा इनके आवास विभिन्न उपायों से सुरक्षित रखा जा सके।

(iv) पारिस्थितिकीय विकास एवं पशु-चिकित्सालय देखभाल होती रहे।

(v) आम आदमी को शिक्षा प्रदान करना एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(vi) जंगली हाथियों के अनधिकृत शिकार एवं गैर प्राकृतिक मौतों को रोकना।

(vii) हाथियों के प्रबन्धन एवं विकास पर जोर देना।

हाथी जंगल के राजा के नाम से जाना जाता है। भारत में हाथी मूलतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, हिमालय में पाए जाते हैं।

भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्र
1.	नागालैण्ड	कर्बी राष्ट्रीय उद्यान
2.	असम	तीरु देवमाली क्षेत्र
3.	असम	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
4.	असम	मानस अभयारण्य
5.	केरल	पेरियार अभयारण्य
6.	अरुणाचल प्रदेश	तीरु देवमाली क्षेत्र

7.	तमिलनाडु एवं केरल	अन्नामलाई एवं पारम्बिकुलम अभयारण्य
8.	उत्तराखण्ड	राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
9.	उत्तराखण्ड	कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान

4. **घड़ियाल प्रजनन परियोजना**—भारत सरकार ने संयुक्त विकास कार्यक्रम की सहायता से ओडिशा के तिकरपाड़ा स्थान से घड़ियाल प्रजनन परियोजना की शुरुआत की गई। सन् 1976 में इसकी शुरुआत हुई। इसका विस्तार भारत में ओडिशा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में जैसे—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, बिहार, अण्डमान एवं नागालैण्ड प्रमुख है।

भारत में प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्र
1.	ओडिशा	जॉर्ज वन्य जीव अभयारण्य
2.	ओडिशा	नन्दन कानन वन्य जीव अभयारण्य
3.	ओडिशा	भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य
4.	राजस्थान	चम्बल वन्य जीव अभयारण्य
5.	तमिलनाडु	गुंडी राष्ट्रीय उद्यान

5. **गैंडा परियोजना**—वन जीव तस्करी को रोकने एवं गैंडा की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम अंग्रेज वन अधिकारी 1908 से ही इस दिशा में कार्य कर रहे थे। 1930 में गैंडों के संरक्षण के लिए असम के काजीरंगा क्षेत्र मानव के लिए निवेद्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। एक सींग वाले गैंडा केवल भारत में ही पाए जाते हैं। इसके संरक्षण के लिए 1987 में गैंडा परियोजना आरम्भ की गई। इसके प्रमुख स्थल असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल में जलदा पारा प्रमुख हैं।

भारत के प्रमुख गैंडा संरक्षित क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य	क्षेत्र
1.	असम (पारपेटा)	मानस अभयारण्य
2.	असम (जोरहट)	काजीरंगा अभयारण्य
3.	पश्चिम बंगाल	जलदापारा अभयारण्य
4.	पश्चिम बंगाल	सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान

6. **कस्तूरी मृग परियोजना**—नर मृग जब एक वर्ष का हो जाता है, तब उसकी कस्तूरी की थैली विकसित होती है और एक मृग से 30-40 ग्राम कस्तूरी मिलती है। सन् 1926 में स्विस वैज्ञानिक एल. खाजिका ने इसकी खोज की कि कस्तूरी में **मिलाइल ताईकलों पेंटाडेकेनल** नामक रसायन पाया जाता है। कस्तूरी के औषधीय गुण, सुगंध व भारी कीमत के कारण बड़ी संख्या में कस्तूरी मृग मारे जाने लगे और विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। इसके संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत ने कस्तूरी मृग परियोजना उत्तराखण्ड के केदारनाथ अभयारण्य से आरम्भ की के पश्चात् शिकारी देवी (हिमाचल प्रदेश), बद्रीनाथ (उत्तराखण्ड) आदि प्रमुख हैं।

7. **लाल पांडा परियोजना**—लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर पाया जाने वाला सीधा-सादा सुन्दर जीव है। अरुणाचल प्रदेश में कैट बीयर के नाम से जाना जाता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में लाल पांडा दिन-प्रतिदिन कम होते जा रही हैं। इसके संरक्षण के लिए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क (सिक्किम) आदि क्षेत्र इसके प्रमुख क्षेत्र हैं।

8. **मणिपुर वामिन परियोजना**—अवैध शिकार रोकने के लिए एवं विलुप्त प्रायः जीव के संरक्षण के लिए 1977 में इनकी कुल जनसंख्या मात्र 18 रह गई। मणिपुर के लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग 'केबुल लमजाओं' में वामिन मृग पाया जाता है। इसी के संरक्षण के लिए वामिन मृग परियोजना शुरू की गई।

9. **हांगुल परियोजना**—इस परियोजना की शुरुआत यूरोपियन रेन्डीयर प्रजाति का सरल स्वभाव का हिरण अब केवल कश्मीर स्थित दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचा है। अतः हांगुल परियोजना के माध्यम से इसकी जनसंख्या में प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है। दुनिया के अन्य भागों से विलुप्त हो चुका जीव IUCN के रेड डाटा बुक में दर्ज किया जा चुका है।

10. **ओलिव रिडले टर्टल संरक्षण परियोजना**—अर्थ रिडले टर्टल की घटती संख्या को देखते हुए, ओडिशा सरकार ने इसके संरक्षण की तैयार की। सन् 1975 में ओडिशा के कटक में अभयारण्य तैयार किया गया। टर्टल शब्द का शाब्दिक अर्थ कछुआ होता है। ये औषधियों के निर्माण में सहायक होते हैं, जिस कारण इन्हें विदेशों में बेचा जाता है। इसकी संख्या में कमी को देखते हुए इसके संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वर्ष2017

क्र सं.	नाम	राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	स्थापना वर्ष
1.	श्री वेंकटस्वरा	**आन्ध्र प्रदेश**	353	1989
2.	पापीकोण्डा	आन्ध्र प्रदेश	1,013	2008
3.	नामदाफा	**अरुणाचल प्रदेश**	1985	1974
4.	मोलिंग	अरुणाचल प्रदेश	483	1986
5.	काजीरंगा	**असम**	472	1974
6.	मनास	असम	950	1990
7.	नमेरी	असम	200	1978
8.	ओरंग	असम	79	1999
9.	डिब्रू-सैखोवा	असम	340	1999
10.	बाल्मिकी	**बिहार**	336	1989
11.	कंकरघाटी	**छत्तीसगढ़**	200	1982
12.	संजय (गुरुघासीदास)	छत्तीसगढ़	1,471	1981
13.	इन्द्रावती	छत्तीसगढ़	1,258	1981
14.	मालेम (भगवान महावीर)	**गोवा**	107	1978
15.	गिरि वन	**गुजरात**	259	1965
16.	ब्लैक बक	गुजरात	34	1976
17.	मैराइन (कच्छ की खाड़ी)	गुजरात	163	1982
18.	वन्सदा	गुजरात	24	1979
19.	कलेसर	**हरियाणा**	47	2003
20.	ग्रेट हिमालयन	**हिमाचल प्रदेश**	754	1984
21.	पिन वैली	हिमाचल प्रदेश	675	1987
22.	इन्देर किला	हिमाचल प्रदेश	104	2010
23.	खीरगंगा	हिमाचल प्रदेश	710	2010
24.	सिम्बलबारा	हिमाचल प्रदेश	28	2010
25.	हेमिस	**जम्मू-कश्मीर**	3,350	1981
26.	किश्तवार	जम्मू-कश्मीर	425	1981
27.	दायीमाम	जम्मू-कश्मीर	141	1981
28.	बेतला	**झारखण्ड**	226	1989
29.	बांदीपुर	**कर्नाटक**	874	1974
30.	बन्नरघट्टा	कर्नाटक	261	1974
31.	कुद्रेमुख	कर्नाटक	600	1987
32.	नगरहोल (राजीव गांधी)	कर्नाटक	643	1988
33.	अंशी	कर्नाटक	417	1987
34.	एराविकुलम	**केरल**	97	1978
35.	पेरियार	केरल	350	1982
36.	साइलैण्ट वैली	केरल	90	1984
37.	माथी केट्टन शोला	केरल	13	2003
38.	कान्हा	**मध्य प्रदेश**	940	1955
39.	पन्ना	मध्य प्रदेश	543	1981
40.	माधव	मध्य प्रदेश	375	1959

क्र सं.	नाम	राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	स्थापना वर्ष
41.	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	449	1968
42.	इन्दिरा प्रियदर्शनी (पेंच)	मध्य प्रदेश	293	1975
43.	संजय	मध्य प्रदेश	467	1981
44.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	585	1981
45.	तदोबा	**महाराष्ट्र**	117	1955
46.	गुगामल	महाराष्ट्र	361	1975
47.	नवेगांव	महाराष्ट्र	134	1975
48.	पेंच	महाराष्ट्र	257	1975
49.	संजय गांधी (बोरिविली)	महाराष्ट्र	87	1983
50.	चन्दोली	महाराष्ट्र	318	2004
51.	केबुल-लामजाओ	**मणिपुर**	40	1977
52.	बलफक्रम	**मेघालय**	220	1985
53.	नोकरेक	मेघालय	48	1986
54.	मुरलेन	मिजोरम	100	1991
55.	फबंगपुई ब्लू पर्वत	मिजोरम	50	1992
56.	इंटकी	नागालैण्ड	202	1993

भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, वर्ष 2017

क्र. सं.	अभयारण्य का नाम	राज्य/के.शा. प्रदेश	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	स्थापना वर्ष
1.	स्पाइक आइसलैण्ड	**अण्डमान-निकोबार**	212	—
2.	नेलापट्टू (बर्ड सेंक्चुरी)	**आन्ध्र प्रदेश**	4,040	1970
3.	नागार्जुन सागर-श्रीसलेम टाइगर रिजर्व	आन्ध्र प्रदेश	3,568	1978
4.	गुण्डला-ब्रह्मेश्वरम्	आन्ध्र प्रदेश	1,194	—
5.	कोलेरू झी	आन्ध्र प्रदेश	673	1963
6.	रोलापदू	आन्ध्र प्रदेश	614	1988
7.	पापीकोण्डा	आन्ध्र प्रदेश	591	1978
8.	पुलीकत झील बर्ड सेंक्चुरी	आन्ध्र प्रदेश	327	1976
9.	श्री लंकामल्लेश्वरा	आन्ध्र प्रदेश	464	—
10.	पखुई टाइगर रिजर्व	**अरुणाचल प्रदेश**	862	1977
11.	कामलंग	अरुणाचल प्रदेश	783	1989
12.	मेहाओ	अरुणाचल प्रदेश	282	1980
13.	टैली-वैली	अरुणाचल प्रदेश	337	—
14.	हुल्लोनगपार गिबन	**असम**	2,099	1997
15.	सोनाई रूपा	असम	175	1934
16.	भीमबन्ध	**बिहार**	682	1976
17.	गौतम बुद्ध	बिहार	260	1976
18.	कैमूर	बिहार	1,342	1978
19.	बाल्मीकि नगर	बिहार	880	1978
20.	अचनकमार	**छत्तीसगढ़**	558	1975
21.	सेमारसोट	छत्तीसगढ़	430	1978
22.	सीता नदी	छत्तीसगढ़	556	1974
23.	तमोर पिंगला	छत्तीसगढ़	609	1978
24.	शूलपनेश्वर	**गुजरात**	608	1982
25.	बलराम अम्बाजी	गुजरात		1989
26.	कच्छ डजर्ट	गुजरात	7,506	1986
27.	इण्डियन वाइल्ड ऐस	गुजरात	4,954	1973
28.	नारायन सरोवर	गुजरात	766	1981
29.	रूपी भाभा	**हिमाचल प्रदेश**	354	1982

क्र. सं.	अभयारण्य का नाम	राज्य/के.शा. प्रदेश	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	स्थापना वर्ष
30.	सेचू तुआन नाला	हिमाचल प्रदेश	655	1962
31.	कुगती	हिमाचल प्रदेश	330	1962
32.	पोंगडेम	हिमाचल प्रदेश	323	1983
33.	काराकोरम	**जम्मू-कश्मीर**	1,800	—
34.	लेचोपोरा	जम्मू-कश्मीर	800	1987
35.	यांगतंग	जम्मू-कश्मीर	4,000	1987
36.	डालमा	**झारखण्ड**	121	1976
37.	गौतम बुद्ध	झारखण्ड	193	1976
38.	हजारीबाग	झारखण्ड	186	1976
39.	कोडरमा	झारखण्ड	178	1985
40.	लावालोंग	झारखण्ड	211	1978
41.	महुआदन्द	झारखण्ड	63	1976
42.	पलामू (बेतला)	झारखण्ड	753	1976
43.	पलकोट	झारखण्ड	183	1990
44.	पारसनाथ	झारखण्ड	49	1984
45.	तोपचांची	झारखण्ड	13	1978
46.	दुधवा लेक बर्ड सेंक्चुरी	झारखण्ड	6	1978
47.	मूकम्बिका	**कर्नाटक**	247	1974
48.	भादरा	कर्नाटक	492	1974
49.	बिलीगिरि रंगा स्वामी टेम्पल	कर्नाटक	540	1987
50.	कावेरी	कर्नाटक	511	1987
51.	डन्डेली	कर्नाटक	834	1987
52.	शरावथी वैली	कर्नाटक	413	1972
53.	शेट्टी हल्ली	कर्नाटक	396	1974
54.	वायनाड़	**केरल**	344	1973
55.	पराम्बकुलम	केरल	285	1973
56.	बोरी	**मध्य प्रदेश**	518	1977
57.	बागदारा	मध्य प्रदेश	479	1978
58.	गांधी सागर	मध्य प्रदेश	369	1974
59.	नौरादेही	मध्य प्रदेश	1,034	1975
60.	पचमढ़ी	मध्य प्रदेश	462	1977
61.	कुनो	मध्य प्रदेश	345	1981
62.	रातापानी टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश	689	1976
63.	संजय-दुबरी	मध्य प्रदेश	365	1975
64.	सरदारपुर	मध्य प्रदेश	348	1983
65.	मेलघाट	**महाराष्ट्र**	597	1985
66.	तदोबा-अन्धारी टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र	625	1986
67.	कोयना	महाराष्ट्र	423	1985
68.	राधानगरी	महाराष्ट्र	372	1958
69.	कालसुबाई हरीशचन्द्र	महाराष्ट्र	362	1986

जैव-विविधता संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

1. **जैव विविधता संधि** 1992—यह संधि सन् 1992 में रियो-डी-जनेरियो ब्राजील में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान 171 देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। यह संधि 29 दिसम्बर, 1993 से प्रभावी हो गई। इस संधि का मुख्य उद्देश्य :

(i) जैव विविधता का संरक्षण

(ii) जैव विविधता का संपोषणशील उपयोग

(iii) आनुवंशिक स्रोतों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का न्याय संगत एवं समान वितरण।

2. **विश्व प्रकृति निधि** (World Wide Fund For Nature WWF)—इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड में है तथा इसकी स्थापना 1961 में की गई। यह संगठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की

देखभाल पर नजर रखता है तथा इसके रख-रखाव सम्बन्धों, मानदण्डों को पूरा करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों एवं एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

3. **साइटस** (CITES—Convention on International Trade in Endangered Species)—इसे 1976 में लागू किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। इसके तहत वन्य जीव संरक्षण एवं जीवों के अंगों की तस्करी को अपने-अपने देश में जीव व्यापार को नियन्त्रित रखने में होता है।

4. **ट्रैफिक** (TRAFFIC : Trade Record Analysis of Flora and Funa in Commerce)—यह वन्य जीवों के व्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों, अमेरिका, ब्रिटेन, मध्य अफ्रीकी देश तथा चीन आदि पर कड़ी नजर रखता है। इसमें हाथी के दांतों एवं पादपों आदि के व्यापार पर नियन्त्रण रखता है।

5. **प्राकृतिक संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ** [International Union For Conservation of Nature (IUCN)]—सन् 1969 से यह संस्था विलुप्त प्रायः असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों तथा पादपों से सम्बन्धित रेड डाटा बुक (Red Data Book) जारी करता है। इस पुस्तक में संकटापन्न प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या पक्षियों की 321 दिखाई गई है। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड में है।

अन्तर्राष्ट्रीय बायोलॉजिकल कार्यक्रम
(INTERNATIONAL BIOLOGICAL PROGRAMME)

उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त लगातार बढ़ती जा रही जनसंख्या के कारण खाद्यान्न व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का प्रयोग आवश्यक है। इससे निपटने के लिए ये संस्थाएं कार्य कर रही हैं—यूनेस्को, एफ. ए. ओ., डब्ल्यू. एम. ओ., डब्ल्यू. एच. ओ., आई. बी. पी. को आर्थिक व अन्य सहयोग दिया जाता है। आई. बी. पी. का अन्तर्राष्ट्रीय जैव विज्ञान संघ, इण्टरनेशनल यूनियन ऑफ फिजियोलॉजिकल साइन्स, इण्टरनेशनल जियोग्राफिकल यूनियन, साइंटिफिक कमेटी ऑन ओसेनिक रिसर्च, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय संघ, अन्तर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानव व मानव जाति विज्ञान संघ आदि।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि—आई. बी. पी. जैव-वैज्ञानिकों को विश्व पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के आंकड़े उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मानव एवं जैवमण्डल कार्य [Man and Biosphere Programme MAB]—मानव एवं जैवमण्डल कार्यक्रम एक अन्तमुशासनिक अनुसन्धान कार्यक्रम है, जिसके तहत मानव व पर्यावरण के बीच अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों एवं वैश्विक स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा चलाया जा रहा है।

भारत में वन्य जीव संरक्षण (Wild Life Protection in India)—भारत प्राचीन काल से प्रकृति की पूजा करता आ रहा है, परन्तु 1960 के दशक के बाद भारत में जागरूकता आई है, जिसके फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। वन्य जीव संरक्षण और वन संवर्द्धन में घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। भारत सरकार इस कार्य के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रही हैं। कानून, सलाह और वित्तीय सहयोग से भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और वन विकास के संयुक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है। वन्य जीव प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी वन्य विभाग के ऐसे उद्देश्य निम्नवत हैं :

1. वन्य जीवों को बिना नुकसान पहुंचाए नियन्त्रित करना।
2. राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्यों की स्थापना एवं देखभाल करना।
3. जीवमण्डल रिजर्व की स्थापना करना ताकि पौधों एवं जीव-जन्तुओं की रक्षा हो सके।
4. इस कार्य के लिए वैधानिक प्रबन्ध करना।

सरकार के अतिरिक्त भी वन्य जीव रक्षा में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं :

(i) बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी,
(ii) वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इण्डिया,
(iii) देहरादून एवं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड, इण्डिया।

राज्य सरकारें भी समय-समय पर कानून बनाकर वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान कर रही है—चेन्नई वन्य हाथी संरक्षण अधिनियम, 1873, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1912, बंगाल गैंडा संरक्षण अधिनियम, 1932 और असम, गैंडा संरक्षण अधिनियम, 1954 आदि प्रमुख हैं।

भारत में वन्य जीवों की रक्षा के लिए 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देने के साथ देखभाल की कार्य-योजना बनाने पर भी बल दिया है।

भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI)—वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसके प्रमुख कार्य जीव-जन्तु की कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाना, वन्य जीवों पर अत्याचारों को रोकना, वन्य जीवों के कल्याण संगठनों को सहयोग करना, आदि।

भारत के कुछ महत्त्वपूर्ण जीवों की संरक्षण योजना के अन्तर्गत बाघ परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना और मगर संरक्षण योजना विशेष उल्लेखनीय है।

झारखण्ड के अभयारण्य

झारखण्ड प्रदेश एक भौगोलिक प्रदेश है, जो अन्य राज्यों से भिन्न है जैव-विविधता की दृष्टि से एक अति सम्पन्न राज्य है। यहां खनिजों का भी भण्डार पाया जाता है पर्यावरण पर्यटन के दृष्टि से यह राज्य सम्पन्न है।

झारखण्ड राज्य में वनों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 23.6 लाख हेक्टेअर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक भाग का 29.6% भाग है। इस राज्य में उष्ण कंटिबंधीय आर्द्र वन उष्ण कटिबंधीय शुष्क वृक्ष प्रमुखतः से मिलते हैं।

झारखण्ड में 11 वन्य जीव अभयारण्य तथा एक राष्ट्रीय पार्क है। वहां वन्य जीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय पार्क 2.1 लाख हेक्टेअर क्षेत्र पर विस्तृत है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.63% तथा कुल वन क्षेत्र का लगभग 9% भाग है।

वर्तमान में झारखण्ड राज्य में निम्नलिखित 11 वन्य जीव अभयारण्य मिलते हैं :

(i) पलामू वन्य जीव अभयारण्य
(ii) हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य
(iii) डालमा वन्य जीव अभयारण्य
(iv) गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य
(v) कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य
(vi) लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य
(vii) महुआदन्द वन्य जीव अभ्यारण्य
(viii) पालकोट वन्य जीव अभयारण्य
(ix) पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य
(x) तोपचान्ची वन्य जीव अभयारण्य
(xi) अद्धवालेक पक्षी अभ्यारण्य।

(i) **पलामू वन्य जीव अभयारण्य**—1976 में 753 वर्ग किमी वन क्षेत्र में पलामू वन्य जीव अभयारण्य झारखण्ड राज्य के लातेहार जिले में उपस्थित हैं। इसमें 47 प्रजातियां स्तनधारी, 174 प्रजातियां पक्षियों की, 970 प्रजातियां पादप की संरक्षित की गयी हैं। इसे बेतला राष्ट्रीय पार्क के रूप में सीमांकित है। जो इस अभयारण्य के उत्तरी भाग में विस्तृत है। कुल क्षेत्रफल 226 वर्ग किमी है।

(ii) **हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य**—हजारीबाग जिले में अवस्थित हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1955 में की गई। समुद्र सतह से 615 मीटर की औसत ऊंचाई पर छोटानागपुर पठार पर स्थित अभयारण्य 186 वर्ग किमी में फैला हुआ है।

(iii) **डालमा वन्य जीव अभयारण्य**—इसकी स्थापना 1875 ई. में संजय गांधी द्वारा की गयी थी। इसका कुल क्षेत्रफल 195 वर्ग किमी है। यहां विभिन्न प्रकार के जन्तुओं में हाथी, हिरण, खरगोश, भालू, जंगली भालू, लोमड़ी, लंगूर, बंदर, नील गाय, सांभर, चीतल तथा काकर प्रमुख हैं।

(iv) **गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य**—बिहार तथा झारखण्ड राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीपवर्ती 259 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत है। सन् 1976 में बिहार सरकार द्वारा इस अभयारण्य का नाम गौतम बुद्ध कर इसे सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया है।

(v) **कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य**—झारखण्ड राज्य के कोडरमा (जिला) जनपद में 178 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत है। सन् 1985 में इसकी स्थापना की गई।

(vi) **लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य**—हजारीबाग पठार पर झारखण्ड राज्य में स्थित लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य 211 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस क्षेत्र के वनों में बांस, खैर, बेल, पलास तथा हाऊ के वृक्ष प्रमुख हैं जबकि जन्तुओं के विभिन्न प्रजातियों में बाघ, चीता, साभंर, चीतल, हिरण जंगली सूअर, नील गाय आदि प्रमुख हैं।

(vii) **महुआदन्द वन्य जीव अभयारण्य**—यह वन्य जीव अभयारण्य झारखण्ड के पश्चिमी जिले लातेहार में 63.25 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसकी स्थापना 1976 में हुई है।

(viii) **पालकोट वन्य जीव अभयारण्य**—झारखण्ड के गुमला जिले के पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य 183 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर फैला है। इसमें चीता, भालू, गीदड़, हिरण, साही प्रमुख जन्तु हैं।

(ix) **पाइसनाथ वन्य जीव अभयारण्य**—यह गिरिडीह जिले के छोटानागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित पहाड़ी पर 49 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 1366 मीटर है। इसमें बाघ, हिरण, छोटी बिल्लियां, चीता, सूअर, नील गाय आदि पाए जाते हैं।

(x) **तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य**—झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में 13 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर जमशेदपुर नगर के निकट तोपचांची अभयारण्य स्थित है। इसमें प्रमुख जीव चीता, जंगली बिल्ली, चीतल, हिरण, जंगली सूअर, लंगूर, गीदड़, लोमड़ी, जंगली कुत्ता आदि हैं।

(xi) **अधवालेक पक्षी अभयारण्य**—यह झारखण्ड राज्य का एक मात्र पक्षी अभयारण्य है। राज्य के उत्तरी-पूर्वी जिले साहिबगंज में स्थित अधवालेक पक्षी अभयारण्य लगभग 6 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यहां प्रवासी पक्षी साइबेरिया से आया करते हैं। जिनमें प्रमुख चोबैचा, बगुला, खंजन, बटान, टिटिहरी, सारस, सारस बुज्जा तथा जल पक्षी सर्वप्रमुख हैं।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन कीजिए?
2. भारत के प्रमुख अभयारण्य का वर्णन कीजिए?
3. झारखण्ड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख कीजिए?
4. झारखण्ड के प्रमुख अभयारण्य का उल्लेख कीजिए?
5. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के प्रमुख अन्तर को स्पष्ट कीजिए?

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

1. 'गिर' नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है :
   (a) राजस्थान (b) गुजरात
   (c) मध्य प्रदेश (d) महाराष्ट्र
2. 'बेतला नेशनल पार्क' कहां अवस्थित है?
   (a) चतरा में (b) पलामू में
   (c) हजारीबाग में (d) कोडरमा में
3. दुधवा झील पक्षी अभयारण्य अवस्थित है :
   (a) हजारीबाग (b) पालामू
   (c) कोडरमा (d) साहेबगंज